न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/204/2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2021/497

अपीलार्थी
श्री भागीरथ यादव पुत्र श्री शुभराम यादव,
निवासी–ग्राम व पोस्ट–कारोडा, तहसील–बहरोड,
जिला–अलवर (राज.)–301020

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 25.11.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20.12.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 14.10.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) शासन सचिवालय (ग्रुप–1) जयपुर के डायरी क्रमांकः 2872 दिनांकः 20.05.2019 के क्रम में श्री विक्रम मीना, हाल पटवारी सोडावास के विरूद्ध की गई सम्पूर्ण कार्यवाही बाबत सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 22.11.2021 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब पत्र सं. 2150 दिनांकः 06.12.2021 मय संलग्नक का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्र सं. लो.सू.अ./RTI/2021/2074 दिनांकः 17.11.21 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के की धारा 8(1)जे एवं धारा 11 के तहत आवेदन में वांछित सूचना तृतीय पक्षकार से जुड़ी हुई होने एवं विस्तृत जनहित से जुड़ी हुई नहीं होने के कारण आवेदन आवेदन खारिज कर सूचित किया जा चुका है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 20.12.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर